कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध–आदेश ::

क्रमांक– 06 /एक–9–1/90 (भाग–1) सीधी, दिनांक : 12/01/2024

मैं संजीव पाण्डेय, सत्र न्यायाधीश, सीधी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सत्र खण्ड सीधी के लिए उक्त कार्य से संबंधित पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूं, जो दिनांक 16/1/2024 से प्रभावशील होगाः–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	*2*	*3*	*4*
1.	सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. अधिसूचित विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र व अन्य दाण्डिक प्रकृति के प्रकरण। 2. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 13 के तहत प्रकरण। 3. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाण्डिक अपीलें। 4. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाण्डिक पुनरीक्षण। 5. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर एवं विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों को छोड़कर समस्त जमानत आवेदन। 6. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
2.	विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस. सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण। 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	*2*	*3*	*4*
3	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र. 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र. 4. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
4	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सीधी जिले से उद्भूत समस्त Case Under POCSO Act, 2021 रामपुर नैकिन सहित 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।
6	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी अनुषांशिक कार्यवाहियां। 2. विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र. 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	*2*	*3*	*4*
7	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय रामपुर–नैकिन, जिला सीधी	थाना रामपुर–नैकिन	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों में आगामी अनुषांशिक कार्यवाहियां। 2. विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर थाना रामपुर नैकिन के समस्त सत्र, अन्य दाण्डिक प्रकृति के प्रकरण व जमानत आवेदनों में अनुषांशिक कार्यवाहियां। 3. रामपुर नैकिन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट् द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत दाण्डिक अपीलें तथा पुनरीक्षण। 4. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुषांशिक कार्यवाहियां।

//आवश्यक निर्देश //

1. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदनों की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश द्वारा की जावेगी, जिन्होंने उस अपराध क्रमांक से संबंधित आवेदन पूर्व में निराकृत किये है । इस हेतु तत्संबधी जमानत आवेदन उस न्यायाधीश के न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा। इसी प्रकार सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित हैं, उनसे संबंधित अभियुक्त, सहअभियुक्त के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा।
2. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में नये जमानत आवेदन पेश होने पर उनकी सुनवाई **सोमवार, मंगलवार** को विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी के न्यायालय द्वारा, **बुधवार, गुरूवार** को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा, **शुक्रवार**, को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी द्वारा एवं **शनिवार** को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा की जावेगी।
3. अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकार के दाण्डिक, निष्पादन, विविध प्रकरण तथा आवेदनों का निराकरण (जिनमें मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा व उनका न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित ''चार्ज प्रभार'' की व्यवस्था अनुसार प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

4. समस्त न्यायाधीश वारंट (चाहें वह जमानती, अजमानती हों अथवा कुर्की, कब्जा अथवा अन्य प्रकार के वारण्ट हों) पर संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर सील के नीचे होने तथा अभिलेख से वारण्ट के सही होने की पुष्टि करने के उपरांत वारण्ट पर हस्ताक्षर करेगें।
5. प्रकरणों में जो संपत्ति जमा की जावे, वह पूरी होने की संतुष्टि करने के बाद व न्यायाधीश की मुद्रा के नीचे संबंधित लिपिक के संक्षेप में हस्ताक्षर करने के उपरांत ही न्यायाधीश माल पर्चे पर हस्ताक्षर करेगें।
6. तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय की श्रंखला अवधि उपरांत वहां के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों व आवेदनों का निराकरण जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
7. यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित तहसील/जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सुना व निराकृत किया जावेगा।

:: चार्ज प्रभार ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक दाण्डिक कार्य के लिए पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक–16/1/2024 से प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क्र.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	*2*	*3*	*4*
1.	सत्र न्यायाधीश, सीधी	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु. जाति अनु. जन. अत्या.नि.अधि.), सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
2.	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु. जाति अनु. जन. अत्या.नि.अधि.), सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
4.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
5.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , सीधी
6.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क्र.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	*2*	*3*	*4*
7.	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

नोट– उक्त प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों के अवकाश पर होने पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जायेगा।

सही/–
(संजीव पाण्डेय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.

पृ. कमांक /एक–9–1/90 (भाग–2) सीधी, दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपिः– यथा निर्देशित

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) सीधी,
2. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीधी,
3. प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
4. अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,
5. रीडर, सत्र न्यायाधीश सीधी,
   .... की ओर सत्र खण्ड सीधी का विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुरनैकिन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना के वेवसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.